प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.12.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 129(g) BNSS के अन्तर्गत अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध की गई प्रभावी कार्यवाही।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम (Crime prevention) के दृष्टिगत अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं जनसुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 129(g) के अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटीय शक्तियाँ प्राप्त हुईं, जिससे धारा 129(g) BNSS का प्रभावी उपयोग संभव हुआ है। इस प्रावधान के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियों से अभ्यस्त एवं सक्रिय अपराधियों को तीन वर्ष तक पाबन्द कर अपराध की रोकथाम एवं कमी सुनिश्चित हुई है। परिणामस्वरूप जनपद गाजियाबाद में अपराध नियंत्रण, जनसुरक्षा और सामाजिक शांति स्थापित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

यह धारा संगठित अपराध, सामाजिक अशांति तथा अन्य गंभीर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार प्रदान करती है। उक्त अभियान श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में दिनांक 29.07.2025 से अनवरत जारी है। इसके अन्तर्गत अपराधियों की रोकथाम (Deterrence) तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं तथा आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों को नोटिस निर्गत करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त की एक्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से बन्धपत्र (Bond) भरवाकर अच्छे आचरण हेतु पाबन्ध किया जाता है, जिससे अपराध नियंत्रण एवं समाज में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

दिनांक 29.07.2025 से अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई, इसमें विगत 10 वर्षों के सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त रहे अपराधियों का गहन सत्यापन कराया गया तथा इन अपराधियों का चिन्हीकरण कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। जिसके अन्तर्गत **धारा 129(g) BNSS के अन्तर्गत 5301** अभियुक्तों को नोटिस प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए **1059 को पाबन्द किया गया है**, जिससे अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हुई है।

इन कार्यवाहियों में चोरी, लूट, स्नैचिंग, डकैती, नकबजनी, वाहन चोरी तथा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। कई

अपराधियों को सार्वजनिक शांति भंग करने से पूर्व ही रोका गया, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगा। पुलिस की विशेष इकाइयों द्वारा निरंतर निगरानी एवं अभिसूचना संकलन कर ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की गई तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बन्धपत्र भरवाया गया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 129(g) BNSS के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का जोनवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	जोन	अपराधियों पर की गई कार्यवाही	पाबन्द किये गये अपराधी
1.	नगर	1163	280
2.	ट्रांस हिण्डन	1364	186
3.	ग्रामीण	2774	593
कमिश्नरेट गाजियाबाद		**5301**	**1059**

कार्यवाही से होने वाले लाभ:-

- **जनसुरक्षा में वृद्धि:** आम नागरिकों को अपराधियों से सुरक्षा का भरोसा मिला।
- **अपराध पर रोकथाम:** आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित हुआ।
- **पुलिस-जन विश्वास में वृद्धि:** जनता में पुलिस की छवि और विश्वास मजबूत हुआ।
- **कानूनी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग:** BNSS की नई व्यवस्था का लाभ सीधे जनता तक पहुँचा।
- **निवारक पुलिसिंग को मजबूती:** अपराध घटित होने से पहले ही रोकथाम संभव हुई।
- **सामाजिक शांति:** मोहल्लों और बाजारों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियाँ कम हुई।

कमिश्नरेट प्रणाली का लाभ

- **तेज़ निर्णय एवं त्वरित कार्रवाई:** कार्यवाही अब अधिक शीघ्रता से की जा रही है।
- **विशेषीकृत इकाइयाँ:** अपराधियों की पहचान एवं निगरानी के लिए समर्पित टीमें कार्यरत हैं।
- **प्रभावी समन्वय:** पुलिस प्रशासन एवं न्यायालय के मध्य बेहतर तालमेल से कार्यवाही अधिक सशक्त हुई हैं।
- **जनहित पर सीधा प्रभाव:** कमिश्नरेट बनने से पुलिस की पहुँच और जवाबदेही बढ़ी है, जिससे जनता को त्वरित राहत मिल रही है।
- **आधुनिक तकनीक का उपयोग:** अपराधियों की पहचान हेतु डिजिटल डाटाबेस, सीसीटीवी निगरानी और साइबर टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है।
- **कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता:** कार्यवाहियों को विधिसम्मत तरीके से दस्तावेजीकृत कर नागरिकों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद गाजियाबाद पुलिस द्वारा धारा 129(g) BNSS के अन्तर्गत की गई कार्यवाहियाँ अपराधियों पर अंकुश लगाने और समाज में शांति बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस प्रणाली ने कार्यवाही को अधिक सरल, त्वरित और प्रभावी बना दिया है, जिससे जनपद गाजियाबाद को सुरक्षित और अपराध-मुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट जनता को आश्वस्त करती है कि अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियाँ भविष्य में भी निरन्तर जारी रहेंगी साथ ही जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 27/12/2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर आवेदक असरफ निवासी आजाद एन्कलेव लोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त जमशेद पुत्र सलीम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा आवेदक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा मारपीट कर वादी के दाँत तोड देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा-115(2), 351(3), 352, 118(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14/12/2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जमशेद पुत्र सलीम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि असरफ के साथ मेरी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी, जिस कारण मैं असरफ से बदला लेना चाहता था। दिनांक 27/12/2024 को मैंने अपने हाथ में कडा पहन रखा था। उस कडे से मैंने असरफ के मुंह पर मुक्का मारा था, जिससे उसको काफी चोट आयी थी। उपरोक्त घटना कारित करने के बाद मैं गाजियाबाद से बाहर भाग गया था और छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जमशेद पुत्र सलीम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.12.2025 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सुमित पुत्र लल्जाराम निवासी ग्राम शमशेर थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया के घर में घुसकर वादिया की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ दुष्कर्म करना जिससे वादिया की पुत्री का 05 माह की गर्भवती हो जाना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 65(1)/333/351(3) बीएनएस व 5J(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र लल्जाराम निवासी ग्राम शमशेर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा वादिया के घर में आना-जाना था, जब वादिया व उसका पति काम करने फार्म पर चले जाते थे तो मैं वादिया के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ गलत काम करता था, जिससे वादिया की पुत्री 05 माह की गर्भवती हो गयी है। मैंने इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

सुमित पुत्र लल्जाराम निवासी ग्राम शमशेर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना लोनी का भ्रमण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

आज दिनांक 14.12.2025 को पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना लोनी का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, मिशन शक्ति केन्द्र, अभिलेखों आदि को चेक किया गया। भ्रमण के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र पर काउंसलिंग हेतु आये आगन्तुकगण से वार्ता की गई एवं उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना तथा त्वरित समाधान हेतु आवश्यक आश्वासन दिया गया। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त लोनी उपस्थित रहे।

भ्रमण का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, जनसुनवाई की व्यवस्था की समीक्षा करना, महिला सुरक्षा, शिकायत निवारण तंत्र की स्थिति जानना, अभिलेखों, तकनीकी संसाधनों एवं बुनियादी सुविधाओं की जांच करना था। इस क्रम में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना प्रभारी लोनी को नियमित रुप से जनसुनवाई करने तथा आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने हेतु व अन्य निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिए गये –

- प्रतिदिन नियमित जनसुनवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल, संवेदनशील और सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए।
- शिकायतों पर त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- महिला शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील एवं मृदुल व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- मिशन शक्ति केन्द्र पर आने वाली महिलाओं को उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाए।
- थाना परिसर, कार्यालय और बैरिक में नियमित साफ-सफाई हो।
- थाने में आने वाले आगन्तुकों के लिए प्रतीक्षालय (वेटिंग एरिया) की व्यवस्था हो तथा बैठने की उचित सुविधा हो।
- थाने में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में हों तथा सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और नियमित रूप से जांच की जाए।
- शिकायतकर्ताओं के लिए शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हों।
- डाक ऑफिस, मालखाना और सीसीटीएनएस ऑफिस में अभियोगों से संबंधित दस्तावेज़, जब्त माल और उपकरणों का संगठित और सुरक्षित रख-रखाव हो।
- सभी अभियोगों से संबंधित रिकॉर्ड समय-समय पर अपडेट किए जाएं।

गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को जनहित में और अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। साथ ही नियमित जनसुनवाई, जनसंवाद जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे एक जनोन्मुखी, पारदर्शी और आधुनिक पुलिस तंत्र की स्थापना की जा सके।

सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान म0न0 डी 60 लाजपत नगर चौकी शनिचौक थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 03 पीड़ित महिला को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार कराने वाला 01अभियुक्त(ग्राहक) व 01 अभियुक्ता(संचालिका) गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,300/- रूपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13/14.12.2025 की रात्रि में सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुई कि म0न0 डी 60 लाजपत नगर चौकी शनिचौक थाना साहिबाबाद क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है, जिसमें भोली भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है । जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा डी ब्लाक लाजपत नगर चौकी शनिचौक में दबिश देकर अनैतिक देह व्यापार में 03 पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार कराने वाला 01 अभियुक्त 1. राजेश सिंह पुत्र देवनन्दन मिस्त्री निवासी सूरज चौहान का किराये का मकान गली नम्बर 06 ग्राम करहेड़ा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम झरी बहरा थाना आमरा जिला गया बिहार उम्र करीब 45 वर्ष(ग्राहक) एवं 01 अभियुक्ता(संचालिका) को पुलिस हिरासत में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्ता ने डी ब्लाक लाजपत नगर साहिबाबाद में एक फ्लैट किराये पर लिया था, किराये पर लिए गए फ्लैट में अभियुक्ता उपरोक्त अनैतिक देह व्यापार करने लगी । जिसमें मोबाइल फोन से व्हाट्सअप के माध्यम से फोटो भेजकर डी ब्लाक लाजपत नगर का पता देकर बुलाती था और प्रतिग्राहक 400 रूपये लेती थी । जिसमें से अभियुक्ता उपरोक्त प्रति महिला 200 रूपये देती थी, बाकी बचे हुए रूपये अभियुक्ता रख लेती थी । अभियुक्त उपरोक्त पहले से ही आता जाता रहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. राजेश सिंह पुत्र देवनन्दन मिस्त्री निवासी सूरज चौहान का किराये का मकान गली नम्बर 06 ग्राम करहेड़ा थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम झरी बहरा थाना आमरा जिला गया बिहार उम्र करीब 45 वर्ष।(ग्राहक)
2. 01 अभियुक्ता(संचालिका) ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मोबाइल फोन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 4,300/- रूपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपारधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।